फाइल सं. ए.12018/08/2020-कुष्ठ

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(सीसीडी अनुभाग)

विषय - केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टु में शव परिक्षण परिचर समूह 'ग' के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिंनाक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टु में शव परिक्षण परिचर समूह 'ग' के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव, श्री मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 401- डी, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते है। manojkumar.upadhyay29@gov.in

मनोज 10/11/22

(मनोज कुमार उपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23061640

नई दिल्ली
दिनांक

[भारत के राजपत्र, भाग II खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख..........,2022

सा. का. नि............ -राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, (समूह-घ पद) भर्ती नियमावली, 1978 का, जहां तक शव परीक्षण परिचर पद से संबंधित है, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, का अधिक्रमण करते हुए एतदद्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में शव परीक्षण परिचर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, शव परीक्षण परिचर, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर - पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।	सीधे भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शव परीक्षण परिचर।	*1(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1, (18000 - 56900 रु)।	लागू नही होता।	18 से 25 वर्ष के बीच* (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के मामलें में चालीस वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में पैंतालिस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अदंमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2 :- रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	अनिवार्य: (1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण हों। (2) मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा उत्तीर्ण की हो। (4) संबंधित क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण1: यदि उम्मीदवार अन्यथा सुयोग्य है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने विवेक पर योग्यता में छूट दी जा सकती है। टिप्पण2: अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधी उम्मीदवारों के मामले में, यदि चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन वर्गों के पर्याप्त अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के मिलने की संभावना नहीं है तो सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक पर इन वर्गों के अभ्यर्थियों को अनुभव से संबंधित योग्यता में छूट दे सकता है।

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों पर लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नही होता।	दो वर्ष ।	सीधी भर्ती द्वारा । टिप्पणी: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर जाने या लंबी बीमारी पर रहने या अध्ययन अवकाश पर जाने अथवा अन्य परिस्थितियों के अधीन एक या अधिक वर्ष की अवधि के लिए बाहर रहने के कारण उत्पन्न रिक्तियों को केन्द्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकता है; (क) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारित हों; और (ख) जो स्तम्भ (7) के तहत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित योग्यताएं और अनुभव रखते हैं।	लागू नही होता।	समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायी किए जाने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1.अपर निदेशक (नैदानिक), केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक (सर्जिकल), केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य 3. सहायक नर्सिंग अधीक्षक, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य 4. क्षेत्र में किसी अन्य राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के कार्यालय से एक राजपत्रित अधिकारी - सदस्य ।	लागू नही होता।

फा.सं. ए.12018/08/2020-कुष्ठ

(मनोज कुमार उपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार